प्रेषक,

अधिशासी अभियन्ता
सरयू ड्रेनेज खण्ड–प्रथम
बहराइच, पिन–271801
eesdd1irrigbh-up.nic.in

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जन सम्पर्क निदेशालय
सूचना भवन, पार्क रोड, सिविल हास्पिटल के सामने
उत्तर प्रदेश, लखनऊ–226001

पत्रांक : /स0ड्रे0ख0प्र0ब0/ निविदा/ दिनांक ,2018

विषय :– अति अल्पकालीन निविदा सूचना संख्या–02/अ0अ0/2018–19 के प्रकाशन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया संलग्न अति अल्पकालीन निविदा सूचना संख्या–02/अ0अ0/2018–19 के राष्ट्रीय स्तर के निम्न दो प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में यथा संभव दिनांक 16.06.2018 के पूर्व प्रकाशित करने का कष्ट करें।

1. दैनिक जागरण दैनिक हिन्दी
2. अमर उजाला दैनिक हिन्दी

संलग्नक :–उपरोक्तानुसार छः प्रतियां
सी0डी0 सहित।

अधिशासी अभियन्ता
सरयू ड्रेनेज खण्ड–प्रथम
बहराइच

पत्रांक– /स0ड्रे0ख0प्र0ब0/निविदा/ दिनांक :

प्रतिलिपि निम्न को संलग्न सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. मुख्य अभियन्ता, सरयू परियोजना–प्रथम, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, फैजाबाद।
2. अधीक्षण अभियन्ता, नवम् मण्डल सिंचाई कार्य, बहराइच।
3. अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई निर्माण मण्डल, बहराइच।
4. अधीक्षण अभियन्ता, कम्प्यूटर सेल, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग उ0प्र0 लखनऊ को सी0डी0 सहित इस आशय से प्रेषित है कि निविदा का प्रकाशन सिंचाई विभाग के वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
5. जिलाधिकारी, बहराइच।
6. अधिशासी अभियन्ता–स0न0ख0–1/3/4/5/6/7 बहराइच एवं बाढ़ खण्ड–श्रावस्ती।
7. पुलिस अधीक्षक, बहराइच।
8. नोटिस बोर्ड हेतु।

अधिशासी अभियन्ता
सरयू ड्रेनेज खण्ड–प्रथम
बहराइच

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
सरयू ड्रेनेज खण्ड–प्रथम, बहराइच
अतिअल्पकालीन निविदा सूचना संख्या–2/अ0अ0/2018–19

महामहिम राज्यपाल, उत्तर प्रदेश की ओर से निम्नलिखित कार्यो हेतु मोहर बन्द निविदांए वर्गीकृत श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारो से दिनांक 21.06.2018 को अपरान्ह 3:00 बजे तक अधिशासी अभियन्ता, सरयू ड्रेनेज खण्ड–प्रथम, बहराइच, सरयू नहर खण्ड–प्रथम, गोण्डा/सरयू नहर खण्ड–द्वितीय, बलरामपुर के कार्यालयों में आमंत्रित की जाती है। प्राप्त निविदाँए दिनांक 22.06.2018 को अपरान्ह 3:00 बजे अधिशासी अभियन्ता, सरयू ड्रेनेज खण्ड–प्रथम, बहराइच के कार्यालय में निविदादाताओं/उनके मनोनीत प्रतिनिधि के समक्ष निविदा समिति/अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा खोली जायेगी। यदि उक्त तिथि को सार्वजनिक अवकाश होता है तो, निविदा अगले कार्य दिवस में निर्धारित समय पर खोली जायेगी। निविदा प्रपत्र दिनांक 18.06.2018 से दिनांक 20.06.2018 सायः 5:00 बजे तक अधिशासी अभियन्ता, सरयू ड्रेनेज खण्ड–प्रथम, बहराइच/सरयू नहर खण्ड–प्रथम, गोण्डा/सरयू नहर खण्ड–द्वितीय, बलरामपुर के कार्यालयो में (1) मूल पंजीयन प्रमाण पत्र (2) सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र (I.D.T.-I) तथा हैसियत प्रमाण पत्र (I.D.T.-2) की मूल प्रतियाँ प्रस्तुत करके तथा उनकी सत्यापति छायाप्रतियाँ ठेकेदार व उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा जमा करने के बाद अधिकृत प्रतिनिधि को ठेकेदार द्वारा प्रदत्त अधिकारी पत्र, जिसमें प्रतिनिधि का हस्ताक्षरी प्रमाणित किया हो, भी जमा करने के पश्चात् निर्धारित मूल्य देकर प्राप्त किये जा सकते है। धरोहर धनराशि बैंक गारण्टी/एन0एस0सी0/राष्ट्रीयकृत बैंक की सावधि जमा पत्र (एफ0डी0आर0)/किसान विकास पत्र, जो कि अधिशासी अभियन्ता, सरयू ड्रेनेज खण्ड–प्रथम, बहराइच के पक्ष में बन्धक होगी। निविदा प्रपत्र के साथ जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा निविदा स्वीकार्य नहीं की जायेगी। एक या समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त करने का पूर्ण अधिकारी अधोहस्ताक्षरी को होगा। बिना धरोहर धनराशि के निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। प्रत्येक निविदादाता को रू0 100.00 के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर एक रूपये की रसीदी टिकट लगाकर अनुबन्ध लिखना अनिवार्य होगा, कि दरें 90 दिन तक मान्य होगी। इससे पहले निविदा वापस लेने पर धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेंगी। नियमानुसार देय वाणिज्य कर, आयकर रायल्टी देनी होगी। सशर्त निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। निविदा की दरें शब्दों तथा अंको में स्पष्ट रूप से अंकित किया जाये। प्रतिशत आदि के रूप में दरें मान्य नहीं होगी। निविदा में अंकित कार्य की मात्रा घटाई बढ़ाई जा सकती है। अनुबन्ध के समय नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटी देना अनिवार्य होगा।

क्र0 सं0	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (लाख रू0 में)	धरोहर धनराशि (लाख रू0 में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य (रू0 में)	कार्य करने की अवधि	पंजीयन श्रेणी
1	2	4	5	6	7	8
1	Supply of 1st class Brick Rora at km 62.400 & 55.700 of B.B. BUND including labour, loading & unloading, stacking, T&P etc.	8.74	0.17	300 +18.00% GST	7 दिवस	C श्रेणी अथवा उच्च
2	Supply of Nylon Crate of size 1mx1mx1m with mesh size 200x200mm with Nylone rope of dia not less then 3.5mm at km. 62.400 site store of B.B. Bund with labour, loading, unloading & stacking etc.	6.29	0.13	300 +18.00% GST	7 दिवस	C श्रेणी अथवा उच्च
3	Supply of 1st class Brick Rora at km 15.500 of R.A.Bund. including labour, loading & unloading, stacking, T&P etc.	2.25	0.05	300 +18.00% GST	7 दिवस	C श्रेणी अथवा उच्च
4	Supply of Nylon Crate of size 1mx1mx1m with mesh size 200x200mm with Nylone rope of dia not less then 3.5mm at Km. 10.700 site store of R.A. Bund with labour, loading, unloading & stacking etc.	2.35	0.05	300 +18.00% GST	7 दिवस	C श्रेणी अथवा उच्च

1. उक्त निविदा सूचना उत्तर प्रदेश शासन की वेवसाइट (htt:/upgov.nic.in/infotech) तथा सिंचाई विभाग की बेवसाइट www.idup.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। निविदा प्रपत्र सिंचाई विभाग के वेवसाइट www.idup.gov.in से भी डाउनलोड की जा सकती है किन्तु इसकी लागत सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता के नाम राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत ड्राफ्ट के रूप में निविदा प्रपत्र के साथ IDT-I, IDT-II, IDT-III व अन्य प्रपत्र/अभिलेखों के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा। वेबसाइट से ड्राइंग उपलब्ध न हो सकने की स्थिति में सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता कार्यालय से ड्राइंग आदि प्राप्त कर सकेंगे। वेबसाइट से डाउनलोड कर प्राप्त किये गये निविदा प्रपत्र और सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता के कार्यालयों में बिक्री के लिए उपलब्ध निविदा प्रपत्र में यदि कोई भिन्नता हो तो इन कार्यालयों में उपलब्ध निविदा प्रपत्र ही मान्य होगा।

2. कोई भी निविदादाता जो राज्य सरकार द्वारा काली सूची में दर्ज हो वह निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेगा।

3. राज्य बार कौंसिल में पंजीकृत कोई भी अधिवक्ता निविदा प्रक्रिया में भाग न ले सकेंगें। अनुबन्ध गठित होने के बाद भी यदि उक्त तथ्य संज्ञान में आता है तो समाधान एवं संतुष्टि की दशा में ऐसे अनुबन्ध को सक्षम अधिकारी द्वारा सकारण आदेश प्रख्यापित कर तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।

4. एक निविदादाता केवल एक ही निविदा खरीद व डाल सकेगा।

5. यदि कोई निविदादाता निर्धारित विधि प्रक्रिया के विरूद्ध अनुबन्ध गठित करने हेतु सक्षम अधिकारी पर दबाव/असम्यक असर डालता है, तो प्रश्नगत निविदादाता की न्यूनतम् दरो की स्थिति में भी निविदा निरस्त की जा सकती है।

6. यह संज्ञान में आने पर कि कोई निविदादाता द्वारा किसी अन्य सम्भावित निविदादाता को उसे निविदा प्रक्रिया में भाग लेने एवं निविदा डालने से रोका गया हो या धमकी दी गयी हो, तो ऐसे ठेकेदार के साथ यदि अनुबन्ध हो भी गया हो तो उसके साथ किया गया अनुबन्ध निरस्त किया जा सकता है।

7. निविदा प्रपत्र रजिस्टर्ड डाक/मान्यता प्राप्त कोरियर के माध्यम से क्रय/जमा करने के इच्छुक पंजीकृत ठेकेदारों द्वारा निविदा प्रपत्र का मूल्य भेजकर प्राप्त कर सकेंगें तथा प्रत्येक प्रकार से पूर्ण व सील्ड निविदा को किसी प्रकार रजिस्टर्ड डाक/मान्यता प्राप्त कोरियर सेवा द्वारा खण्डीय लेखाकार/कैशियर को उनके हस्ताक्षर प्राप्त कराके (निविदा प्राप्त होने के प्रमाणक में) प्राप्त करायी जायेगी। जो प्राप्त निविदाओं को तत्काल एक रजिस्टर में पंजीकृत करेंगें जिसमें निविदा प्राप्ति का समय व दिनांक आदि अंकित करके सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता को समय से सूचित करेंगें ताकि अन्य निविदाओं के साथ इस प्रकार प्राप्त निविदाओं को भी निविदा खुलने के पूर्व निविदा बाक्स में डाला जा सकेगा। प्रतिबन्ध यह रहेगा कि रजिस्टर्ड डाक/मान्यता प्राप्त कोरियर सेवा द्वारा कार्यालय को प्रेषित निविदायें निविदा प्राप्त करने की निर्धारित अन्तिम तिथि से एक कार्यदिवस पूर्व तक प्राप्त की जायेगी। रजिस्टर्ड डाक/मान्यता प्राप्त कोरियर सेवा के विलम्ब के कारण यदि कोई निविदा बिलम्ब से प्राप्त होता है तो उसका उत्तरदायित्व विभाग का नहीं होगा। डाक से निविदा प्राप्त करने हेतु रू0 200.00 अतिरिक्त मूल्य भेजना आवश्यक होगा।

8. विशिष्ट परिस्थितियों में निविदा जमा/खोलनें की तिथि में यदि कोई परिवर्तन होता है तो इसकी सूचना निविदा जमा होने के तीन दिवस पूर्व इस कार्यालय के सूचना पट पर प्रदर्शित कर दी जायेगी।

9. चरित्र प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र, स्वघोषणा प्रमाण पत्र व निविदा के साथ दी जाने वाली धरोहर धनराशि के फर्जी पाये जाने पर निविदा निरस्त कर दी जायेगी तथा सम्बन्धित ठेकेदार का नाम काली सूची मे डालकर ब्लैक लिस्ट करने की संस्तुति कर दी जायेगी तथा इसे अपराधिक कृत्य मानते हुए ठेकेदार/फर्म के नाम प्राथमिकी भी दर्ज करा दी जायेगी।

10. शासनादेश संख्या–622/23–12–2012–2 आडिट/08टी0सी0 दिनांक 8.6.2012 के अनुसार कार्यों की विभागीय दरों से ठेकेदारों द्वारा 1% से 10% तक दर कम देने पर 0.5% प्रति 1% कमी पर तथा 10% से अधिक दरों में कमी पर प्रति 1% कमी पर 1% अतिरिक्त परफारमेंस धरोहर धनराशि देय होगी। उक्त धरोहर धनराशि अनुबन्ध के समय जमा करने की बाध्यता होगी।

11. सशर्त एवं अपूर्ण निविदायें मान्य नहीं होंगी।

12. कार्य से सम्बन्धित लागत व मात्रायें कम या अधिक हो सकती है।

13. एक अथवा समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी को सुरक्षित है।

14. निविदा प्रपत्रों के साथ अलग से IDT-I, IDT-II, IDT-III, आयकर, व्यापार कर का अदेयता प्रमाण–पत्र एवं धरोहर धनराशि तथा वांछित अनुभव प्रमाण पत्र मूल रूप में एवं पैन कार्ड, जी0एस0टी0 पंजीकरण/ श्रम विभाग में पंजीकरण, जी0एस0टी0 पंजीकरण की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करायी जायेंगी। निविदादाता निविदा डालने से पूर्व सुनिश्चित कर लें कि उपरोक्त समस्त अभिलेख निविदा के साथ संलग्न हैं तथा उक्त प्रपत्रों में वांछनीय समस्त सूचनायें भरी हैं। निविदा खोलने के पश्चात कोई प्रपत्र अलग से स्वीकार नहीं किये जायेंगें तथा प्रपत्र अधूरा या संलग्नकों की कमी रहने पर निविदा की दरें नही बोली जायेंगी, तथा निविदादाता का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।

15. जी0एस0टी0 दरों में शामिल नहीं है। जी0एस0टी0 विभागीय नियमानुसार देय होगा।

16. अनुवन्धो का गठन धनावंटन के उपरान्त ही कार्य की आवश्यकतानुसार किया जायेगा।

17. निविदादाता को पिछले तीन वित्तीय वर्षों में किसी एक वित्तीय वर्ष में समान प्रकृति का कार्य, जो निविदा लागत का 80 प्रतिशत से कम न हो, का संतोषजनक ढंग से पूर्ण किये जाने का प्रमाण–पत्र अपलोड करना होगा। प्रमाण–पत्र अधिशासी अभियन्ता एवं उससे उच्च स्तर से निर्गत होने पर ही मान्य होगा।

अधिशासी अभियन्ता
सरयू ड्रेनेज खण्ड–प्रथम,
बहराइच